न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार न्योल,आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 03/2019 (रे.वाद)

दायर दिनांक :– 08/01/2019

निर्णय दिनांक :– 21/08/2025

अनवान्

1. ख्यालीलाल पिता परसराम मेनारिया ब्राहम्ण निवासी गवारडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

वादी

बनाम

1. सोहनलाल पिता परसराम मेनारिया ब्राहम्ण नि0 गवारडी (मृतक के बजाय)

1/1 मुकेश पिता सोहनलाल मेनारिया ब्राहम्ण निवासी गवारडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

1/2 उदयलाल पिता सोहनलाल मेनारिया निवासी गवारडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

1/3 गुडडी पिता सोहनलाल मेनारिया निवासी गवारडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

2. लक्ष्मीलाल पिता परसराम मेनारिया निवासी गवारडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. कसनीबाई बेवा परसराम मेनारिया निवासी गवारडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

वादी की ओर से –1. श्री भैरुलाल जाट, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से – 1. श्यामसुन्दर पालीवाल, 2. पृथ्वीराज पुरोहित, अधिवक्ता

दिनांक – 21/08/2025

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम गवारडी पटवार हल्का गवारडी तहसील रेलमगरा में परसराम पिता किशना ब्राहम्ण के खातेदारी की निम्न लिखित कृषि आराजीयात संवत 2057 में आराजी संख्या 1648, 1649, 1650, 1651 कुल किता– 04 कुल रकबा 03–03 बीघा स्थित थी। नकल जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 के पिता व प्रतिवादी संख्या 03 के पति परसराम के नाम पर 1/2 के नाम पर सम्वत 2057–2060 में

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अंकित थी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 03 के पति परसराम पिता किशना मेनारिया ब्राह्मण निवासी गवारडी ने जिनकी उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा अंकित था में से अपना 1/2 हिस्सा वादी को बिल एवज 31500/– रुपये में दिनाक 19/12/2000 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर उक्त आराजीयात पर कब्जा वादी को करवा दिया गया तब से उक्त आराजीयात में से 1/2 हिस्से पर वादी काबिज होकर उपयोग –उपभोग काश्त करता चला आ रहा हैं। वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित कराने के पश्चात वादी इसी विश्वास में था कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में 1/2 हिस्सा वादी के नाम पर उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अंकन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से हो गया होगा तथा उक्त हिस्से पर स्वामित्व एवं आधिपत्य होने से तथा वादी काफी व्यस्त होने से उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अंकन बाबत पता नही कर सका तथा विक्रय पत्र को सुरक्षित अपनी पेटी में रख दिया तथा उपरोक्त आराजीयात पर वादी काबिज होकर उपयोग– उपभोग करता चला आ रहा है परन्तु आज से करीब 01 माह पूर्व प्रतिवादीगण ने वादी उपरोक्त आराजीयात से बेदखल करने की कोशिश की तथा अपने हिस्से की भूमि को विक्रय करने पर आमादा हुए जिसका उन्हें किसी प्रकार से कोई हक अधिकार नही है तथा वादी को कहा कि उक्त सम्पूर्ण भूमि में तुम्हारा कोई हक नही हैजिस पर वादी ने खाते की नकल निकलवाई तो पता चला कि उपरोक्त आराजीयात में वादी के साथ प्रतिवादीगण का नाम भी अंकित है जबकि उपरोक्त भूमि वादी ने खरीदी हुई है जिस पर वादी ने पुराना विक्रय पत्र जो पेटींय में बंद था निकाला एवं उसके बाद जमाबंदी की नकले प्राप्त की एवं तुरन्त उपरोक्त आराजीयात में अपना 1/2 हिस्सा घोषित कराने हेतु वाद न्यायालय आपमें प्रस्तुत किया जा रहा हैं। प्रतिवादीगण ने आज से एक माह पूर्व उक्त आराजीयात में से वादी को बेदखल करने एवं भूमि को विक्रय करने की धमकी दी एवं उसके चश्चात वादी द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादीगण को बताने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण वादी को उपरोक्त आराजीयात से बेदखल करने पर आमदा होने से उसके विरुद्व स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी कराई जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। प्रतिवादी संख्या 04 राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने से उन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है अन्यथा उनसे किसी प्रकार की कोई दाद नही चाही जा रही हैं। वाद पत्र आज से एक माह पूर्व प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उपरोक्त आराजीयात से बेदखल काने व विक्रय करने की धमकियां देने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। **अतः प्रार्थना है कि** वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के विरुद्व निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में वादी के नाम पर 1/2 हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर घोषित कराया जाकर घोषणा की डिक्री वादी के पक्ष में पारित फरमाई जावे वाद की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में वादी के नाम पर 1/2 हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

आधार पर घोषित कराया जाकर घोषणा की डिक्री वादी के पक्ष में पारित फरमाई जावे घोषणा के पश्चात उपरोक्त आराजीयात में वादी के हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की रुकावट बाधा हस्तक्षेप कारित नही करे उन्हें जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे वाद व्यय वकील मेहनताना वादी के प्रतिवादीगण से दिलाया जावे अन्य कोई समुचित सहायता जो वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो दिलाई जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 03 बावजूद सूचना पत्र के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 04 भूमिधारक के विरूद्व कोई दाद नही चाही गयी है।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 ख्यालीलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिस मुख्य परीक्षण पुर्ण हुआ एवं दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी संवत् 2057–2060 के खाता संख्या 405 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–01, रजिस्टर्ड विकय पत्र की असल प्रति प्रदर्श–02 इसकी छाया प्रति प्रदर्श–02ए, नामान्तरकरण संख्या 1747 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–03 एवं जमाबन्दी संवत् 2069–2072 के खाता संख्या 880 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–04 के प्रस्तुत किये गये।

अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि जमाबन्दी संवत् 2057–2060 के खाता संख्या 405 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–01 में वादग्रस्त भूमि में परसराम पिता किशना का 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रेकर्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–02 के अनुसार परसराम पिता किशना ने अपने उक्त 1/2 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के द्वारा वादी को विकय किया गया था किन्तु तत्समय उक्त विकय पत्र का नामान्तरकरण दर्ज नही होने से एवं विकेता परसराम की मृत्यु होने से वादग्रस्त भूमियों का विरासत से नामान्तरकरण उसके विधिक वारिसान के नाम दर्ज हो गया। प्रकरण में उपलब्ध दस्तोवजी साक्ष्य प्रदर्श–02 के अनुसार वादी एक सद्भावी केता है और वादी का उक्त वादग्रस्त भूमि को कय करने के वाद निरन्तर कब्जा होना भी वादी ने अपने वादपत्र में जाहिर किया गया। साथ ही वादी के उक्त वादपत्र का प्रतिवादी ने सूचना होने के बावजूद भी कोई खण्डन नही किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये सिद्व होकर न्याय संगत होना प्रतीत होता है।

: : आदेश : :

अतः प्रकरण में वादी दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपने वादपत्र को सिद्व करने में सफल रहने से आंशिक रूप से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम गवारडी पटवार हल्का गवारडी तहसील रेलमगरा स्थित वादग्रस्त कृषि आराजी संख्या 1648, 1649, 1650, 1651 कुल किता– 04 कुल रकबा 03–03 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 का नाम विलोपित करते हुए वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21/8/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार न्योल)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :–03/2019

वादी पक्ष :–

1. ख्यालीलाल पिता परसराम मेनारिया ब्राहम्ण निवासी गवारडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीपक्ष :–

1. सोहनलाल पिता परसराम मेनारिया ब्राहम्ण नि0 गवारडी (मृतक के बजाय)

1/1 मुकेश पिता सोहनलाल मेनारिया ब्राहम्ण निवासी गवारडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

1/2 उदयलाल पिता सोहनलाल मेनारिया निवासी गवारडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

1/3 गुडडी पिता सोहनलाल मेनारिया निवासी गवारडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

2. लक्ष्मीलाल पिता परसराम मेनारिया निवासी गवारडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. कसनीबाई बेवा परसराम मेनारिया निवासी गवारडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

दावा :– वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.का.अ.

वादी की ओर से –1. श्री भैरुलाल जाट, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से – 1. श्यामसुन्दर पालीवाल, 2. पृथ्वीराज पुरोहित, अधिवक्ता

में इस आशय मे दिनांक 21/08/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि प्रकरण में वादी दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपने वादपत्र को सिद्व करने में सफल रहने से आंशिक रूप से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम गवारडी पटवार हल्का गवारडी तहसील रेलमगरा स्थित वादग्रस्त कृषि आराजी संख्या 1648, 1649, 1650, 1651 कुल किता– 04 कुल रकबा 03–03 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 का नाम विलोपित करते हुए वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 21/08/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(राकेश कुमार न्योल)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा